राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2024 / 2023

कैलाश मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. श्री अभिषेक कुमार सिंह, तहसीलदार, कोटपूतली जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 11.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार राज.आसाववन मण्डल, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 31.07.2023 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार, उनियारा, जिला टोंक में किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि स्थानांतरण भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 02.6.2023 की अनुपालना में किया जाना बताया है, जबकि उक्त पत्र दिनांक 02.06.2023 अपीलार्थी पर लागू नहीं हेाता है, क्योंकि अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित हुए मात्र नौ माह का समय ही व्यतीत हुआ है तथा अपीलार्थी अपनी गृह तहसील में भी पदस्थापित नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश पत्र दिनांक 2–6–2023 के वर्णित निर्देशों में अपीलार्थी नहीं आता है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पत्र दिनांक 2–6–2023 में जारी निर्देशों के विपरीत जाकर प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है जो अनुचित एवं अयुक्तियुक्त है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क रहा है कि अपीलार्थी की पत्नी लकवा रोग से पीडित है जिसका निरन्तर इलाज एमएल स्पाईन एवं ऑर्थो हॉस्पिटल सिद्वार्थ नगर, जयपुर में चल रहा है। अपीलार्थी स्वयं विकलांग की श्रेणी में आता है और अपीलार्थी स्पाईल रोग से पीडित है जिसका निरन्तर उपचार चल रहा है ऐसी विषम परिस्थितियों में अपीलार्थी का स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 100 किलोमीटर दूर उनियारा जिला टोंक किया जाना अनुचित एवं अयुक्तियुक्त है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का गृह जिला जयपुर है। अपीलार्थी के गृह जिले में पदस्थापित होने के कारण अपीलार्थी का स्थानांतरण/पदस्थापन विधानसभा आम विधानसभा चुनाव, 2023 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 437/6/1/आईएनएसटी/ईसीआई/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2023 दिनांक 02.06.2023, 22.02.2019 एवं निर्वाचन अधिकारी राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023, 2658 दिनांक 04.07.2023 एवं क्रमांक 1050 दिनांक 28.07.2023 के क्रम में राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.7(1) राज–1/ 2015 दिनांक 31.07.2023 की पालना में किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर से अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 29.05.2023 के द्वारा जारी दिशा–निर्देशों में अंकित प्रत्येक बिन्दूओं के संबंध में विधान सभा चुनाव से जुड़े ऐसे तहसीलदार/नायब तहसीलदार जिनका गृह विधान सभा क्षेत्र हो, जिनका गृह जिला हो या जिनकी सेवा अवधि गत 4 वर्षो में से 3 वर्ष से अधिक हो गयी हो एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर निर्वाचन विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1010 दिनांक 02.06.2023 एवं भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 437/6/1/आईएनएसटी/ईसीआई/एफयूएनसीटी/एमसीसी/2023 दिनांक 02.06.2023 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना में राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प.7 (1) राज– 1/2015 दिनांक 31.07.2023 के क्रम में राजस्व मण्डल का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश क्रमांक 3444 दिनांक 31.07.2023 जारी किया गया है।

4. निजी प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का गृह जिला जयपुर है। इसलिए अपीलार्थी को नजदीकी जिले में ही चुनाव विभाग में पारदर्शिता रखने के आशय से नजदीकी जिले में पदस्थापित किया गया है तथा चुनाव विभाग के निर्देश दिनांक 02.06.2023 में भी यह उल्लेख है कि तहसीलदार के पद पर कार्यरत् व्यक्ति को गृह जिले में पदस्थापित नहीं रखा जावें।

5. पक्षकारों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने यह प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी का गृह जिला जयपुर है। इस आधार पर अपीलार्थी का स्थानांतरण चुनाव आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों के कारण किया गया है। आलोच्य आदेश विधानसभा आम चुनाव 2023 को देखते हुए राज्यहित व प्रशासनिक कारणों से किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

6. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)